

## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

\* अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
बिहार, पटना।

\*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में नगर पंचायत, नवगछिया में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत नगर पंचायत, नवगछिया के वार्ड सं०- 13, 14, 16 एवं 21 में नल का जल उपलब्ध कराने हेतु का कुल ₹203.315 लाख (दो करोड़ तीन लाख एकतीस हजार पाँच सौ रु०) मात्र योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश मद की राशि से तत्काल राशि ₹101.6575 लाख (एक करोड़ एक लाख पैंसठ हजार सात सौ पचास रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नवगछिया का पत्रांक- 1214, दिनांक- 24.12.2019 द्वारा नगर पंचायत, नवगछिया के वार्ड सं०- 13, 14, 16 एवं 21 में नल का जल उपलब्ध कराने हेतु कुल 1500 House Hold के मॉडल प्राक्कलन के आधार पर कुल प्राक्कलित राशि ₹203.315 लाख (दो करोड़ तीन लाख एकतीस हजार पाँच सौ रु०) मात्र का बुडको से तकनीकी अनुमोदित प्रदत्त प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया है।

2. नगर पंचायत, नवगछिया में वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु विभागीय राज्यादेश सं०- 209, दिनांक- 30.01.2017 द्वारा कुल ₹792.18480 लाख की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई तथा विभिन्न विभागीय आवंटनादेश सं०- 143, दिनांक- 30.03.2016, आवंटनादेश सं०- 210, दिनांक- 30.01.2017 एवं आवंटनादेश सं०- 345, दिनांक- 27.03.2017 द्वारा कुल ₹294.29321 लाख (दो करोड़ चौरानवे लाख उनतीस हजार तीन सौ इक्कीस रु०) मात्र की राशि राज्य योजना मद से आवंटित की जा चुकी है। पूर्व में आवंटित राशि का उपयोग इस योजना में समाहित किया जाएगा।

u

3. उक्त के आलोक में नगर पंचायत, नवगछिया के वार्ड सं०- 13, 14, 16 एवं 21 में नल का जल उपलब्ध कराने हेतु कुल 1500 House Hold के मॉडल प्राक्कलन के आधार पर कुल प्राक्कलित राशि ₹203.315 लाख (दो करोड़ तीन लाख एकतीस हजार पाँच सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु 50 प्रतिशत राशि राज्यांश मद से एवं शेष 50 प्रतिशत राशि नगर निकाय के पास उपलब्ध 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद की कर्णांकित 30 प्रतिशत राशि में से व्यय करने का निर्णय लिया गया।

4. उक्त के आलोक में नगर पंचायत, नवगछिया के वार्ड सं०- 13, 14, 16 एवं 21 में नल का जल उपलब्ध कराने हेतु कुल 1500 House Hold के मॉडल प्राक्कलन के आधार पर कुल प्राक्कलित राशि ₹203.315 लाख (दो करोड़ तीन लाख एकतीस हजार पाँच सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश मद से तत्काल ₹101.6575 लाख (एक करोड़ एक लाख पैंसठ हजार सात सौ पचास रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:-

नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी/ प्रशासनिक अनुमोदन की राशि	(राशि लाख में)	
			राज्यांश मद से आवंटित की जाने वाली राशि (50 प्रतिशत)	तत्काल स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
नगर पंचायत, नवगछिया	नगर पंचायत, नवगछिया द्वारा क्रियान्वित नवगछिया शहरी जलापूर्ति योजनान्तर्गत वार्ड सं०- 13, 14, 16 एवं 21 नल जल संयोजन कार्य।	203.315	101.6575	101.6575
	<b>कुल योग</b>	<b>203.315</b>	<b>101.6575</b>	<b>101.6575</b>

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹101.6575 लाख (एक करोड़ एक लाख पैंसठ हजार सात सौ पचास रु०) मात्र ।

5. उक्त स्वीकृत ₹101.6575 लाख (एक करोड़ एक लाख पैंसठ हजार सात सौ पचास रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 256, दिनांक- 26.02.2019, पत्रांक- 732, दिनांक- 31.07.2019 एवं पत्रांक- 687, दिनांक- 19.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में की जायेगी। प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर पंचायत, नवगछिया के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी।

6. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 61, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।
7. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”
8. योजना के कार्यान्वयन का त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।
9. उक्त स्वीकृत ₹101.6575 लाख (एक करोड़ एक लाख पैंसठ हजार सात सौ पचास रू०) की निकासी मांग संख्या-48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215-जल पूर्ति तथा सफाई- उप मुख्य शीर्ष -01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -उप शीर्ष 0103- पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2215017890103, विषय शीर्ष 0103.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में की जाएगी।
10. **योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा :-**
- (i) योजना का कार्यान्वयन नगर पंचायत, नवगछिया द्वारा कराया जायेगा।
- (ii) प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।
- (iii) **योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**
- (iv) जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।
- (v) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, विभाग का नाम, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।
11. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4

12. आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/जला०-01-76/2016 के पृष्ठ सं०-.....16...../टि० पर दिनांक-...27.1.20... को प्राप्त है एवं सक्षम अधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....17...../टि० पर दिनांक-...27.1.20... को प्राप्त है ।

13. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

14. इसकी सूचना प्रमण्डलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नवगछिया /संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-2ब०/जला०-01-76/2016 208 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-28/01/2020

प्रतिलिपि:- प्रमण्डलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नवगछिया /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/विभागीय सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी (नल-जल निश्चय योजना)/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/ विभागीय आई०टी० प्रबंधक को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रबंधक, एम०आई०एस० को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28.01.2020

सरकार के विशेष सचिव ।